AND THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.K. THUNGON): (a) the magnitude of bank erosion by Brahmaputra river at Dibrugarh has been estimated at an average of 124 hectares every year during the last three years.

(b) The Union Government has been releasing loans from the Central budget for flood management in the Brahmaputra Valley every year. The amount released in crores of rupees are 20.00, 25.00 and 25.00 for 1991-92, 1992-93 and 1993-94 respectively. Funds, however, were not earmarked by the Union Government for Flood protection schemes in Dibrugarh town.

(c) The amount spent by the Government of Assam from the State Plan funds for flood protection works in Dibrugarh area in lakhs of rupees are 4.23, 4.54 and 5.49 for 1991-92, 1992-93 and 1993-94 respectively.

(d) Steps taken for strengthening the existing banks of Dibrugarh city consisted of executing the following schemes:

(i) Strengthening the land spur at Mothola between 1991 to 1993 at an estimated cost of Rs. 57.32 lakh.

(ii) Construction of an embankment two kilometre in length between 1989 to 1992 at an estimated cost of Rs. 37.78 lakh.

(e) Construction for the protection of Nagaghuli-Maijan area could not be taken up for want of funds.

सिंचाई के लिए राज-सहायता

4383. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सिंचाई के लिए राज-सहायता जारी रखने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जल की कम कीमत और खरीद की कम लागत से जल-प्रबंधन या संसाधनों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति गठित की है;

(च) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

शहरी विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) से (घ) सिंचाई तथा उससे संबंधित प्रभारों के माध्यम से वसूल किये गये राजस्व और सिंचाई परियोजनाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण की लागत में अंतर है। यह अनुमान लगाया गया है कि सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत ब्याज प्रभारों को बिना ध्यान में रखे सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान संचयी वित्तीय क्षति 3676.83 करोड़ रुपए है। इससे सिंचाई परियोजनाओं के उचित प्रचालन तथा अनुरक्षण के वास्ते उपलब्ध संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ङ) और (च) जी हां, समिति के सुझावों में ये शामिल हैं; जलदरों की उपयोगकर्ता प्रभार मानना, जल प्रभारों का उद्देश्य, अंततोगत्वा, लागत वसूल करना, जलदरों के प्रावधान को सेवा की कोटी में सुधार से जोड़ना, जलदरों का फेजों में संशोधन तथा क्रियान्वयन, कृषक समूह प्रबंध प्रणाली का समेकन, जल उपयोग तथा उत्पादकता में प्रणाली को उच्चतर स्तर की कुशलता तक स्तरोन्नत करना, आवधिक पुनरीक्षा के वास्ते प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा प्रक्रिया के वास्ते मानदंड तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर विशेषज्ञ दल गठित करना, जल की लागत, जल दरों में संशोधन करने तथा न्यूनतम वित्तीय प्रतिलाभ मानदंड लागू करने के संबंध में नीति की पुनरीक्षा करने हेतु राज्य स्तर पर स्वायत बोर्डों की स्थापना करना।

(छ) चूंकि सिंचाई एक राज्य विषय है इसलिए जलदरों पर निर्णय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से परामर्श करके ही लिया जा सकता है। समिति की रिपोर्ट देखने के लिए तथा समिति द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों पर विचारों की मोटे रूप से सहमति हो इसके लिए योजना आयोग ने सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में अधिकारियों का एक दल गठित किया है।

मध्य प्रदेश जल परियोजना

4384. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में जल परियोजना की क्षमता क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों में इस परियोजना के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जायेगा और जल कब तक उपलब्ध कराया जायेगा; और

(ग) उस कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है जिसे इस परियोजना के माध्यम से सोचा ज एगा?

शहरी विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) से (ग) मध्य प्रदेश की 23 वृहत और 32 मझौली सिंचाई परियोजनाओं को 8वीं योजना में आगे लाया गया है। उनका ब्यौरा

अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 171, अनुपत्र सं. 75]

सतलुज-यमुना नहर पर व्यय की गई धनराशि

4385. **श्री रामजी लाल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार और हरियाणा सरकार ने सतुलज-यमुना नहर के निर्माण कार्य पर क्रमश: 500 करोड़ और 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं; यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य को इस नहर से कृषि क्षेत्र में क्या लाभ हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों में इस नहर से कितना नुकसान हुआ है;

(ग) हरियाणा के लिए इस नहर को तुरन्त चालू करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) से (घ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Erosion of Land on the Bank of Ganga/ Padma Rivers in West Bengal

4386. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State of West Bengal has not taken any concrete steps to prevent the continuing erosion of land on the right bank of Ganga/Padma rivers from the downstream of Farakka Barrage leading to likely submergence of Murshidabad district;

(b) whether the State has not been adhering to abide by the guidelines issued by the Central Government for the purpose;

(c) whether Central Government propose to initiate immediate action to protect the district in order that human lives etc, are not lost further; and

(d) if so, the facts and details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.K. THUNGON): (a) Government of West Bengal has been taking necessary pallative measures to counter erosive action of the river depending upon the gravity of the situation, availability of funds and economic viability of the scheme. During 1994-95, State Government has taken up execution of anti erosion works at Shekhalipur and Chintamony villages P.S. Lalgola District of Murshidabad.

(b) So far there has not been any occasion when the State Government has not taken care of the guidelines issued by the Central Government for the purpose.

(c) and (d) Anti erosion works are planned and executed by the State Government out of their own plan funds according to their own priorities. The Centre renders assistance that are technical, catalytical and promotional in nature.

Participation in Water Management Sector through BOT Schemes

4387. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any policy for international participation in the water management sector through Build-Operate-Transfer (BOT) schemes;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that some proposed irrigation projects in Andhra Pradesh are ideal for BOT principles; and

(d) if so, the status of these proposals?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.K. THUNGON) (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.

Modernisation of Krishna Delta

4388. SHRI PRAGADA KOTAIAH:
SHRI B.K. HARIPRASAD:
SHRI NYODEK YONGGAM:
Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether a proposal from the Andhra